केशव कुमार गोयल बनाम चेतन सिंह
प्रा0पत्र (खा.सु. अ.) 30/20

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 30/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

चेतनसिंह पुत्र शेरसिंह जाट उम्र 58 (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स गायत्री प्रोडेक्ट्स, जघीना गेट, गोपालगढ, भरतपुर निवासी जघीना गेट, गोपालगढ, भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. प्रार्थी उपस्थित

2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 31.12.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 31.12.2020 को उपस्थिति हुआ। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 31.12.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.02.2020 को बाद दोपहर 03:30 बजे

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में आमजन विक्री वास्ते 500 ग्राम बजनी पैकिंग के खाद्य पदार्थ घी के 69 मूल सील्ड प्लेन पाउच पैक एवं 1 किग्रा0 बजनी पैकिंग के खाद्य पदार्थ घी के 80 मूल सील्ड प्लेन पाउच पैक रखे मिले जिनमें मिलावट का शक होने पर नियमानुसार मौके 800 ग्राम घी (लूज) 100/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–93/एक्ट/2020/163 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी का नमूना अवमानक स्तर (Substandard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का खाद्य प्रदार्थ घी का आम जनता को विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लघंन किया गया है।

प्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि गैरसायल के द्वारा निर्मित घी का सैम्पिल लिया गया है। सैम्पिल अवमानक स्तर (Substandard) का पाया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि मेरे द्वारा ब्रजरस का ही निर्माण किया गया जो मानव सेवन के लिए नहीं है। ब्रजरस के डिब्बे पर स्पष्ट शब्दो में Use for only yagya hawan pujan अंकित कराई है फिर भी जांच अधिकारी महोदय ने खाद्य पदार्थ के अन्तर्गत प्रकरण बनाकर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। गैरसायल काफी समय से माइल्ड फैट ब्रजरस का निर्माण करके विक्रय करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने ब्रजरस माइल्ड फैट का निर्माण केवल यज्ञ, हवन पूजा के उपयोग में लेने के लिए किया है। गैरसायल के द्वारा फर्म गायत्री प्रोडेक्ट का रजिस्ट्रेशन जिला उद्योग केन्द्र भरतपुर में करा रखा है। गैरसायल के द्वारा उक्त प्रोडेक्ट का निर्माण मानव सेवन के लिये नहीं किया गया। प्रार्थी का प्रकरण अनावश्यक रूप से बनाया गया इसलिये खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 10.02.2020 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित 500 ग्राम बजनी पैकिंग के खाद्य पदार्थ घी के 69 मूल सील्ड प्लेन पाउच पैक एवं 1 किग्रा0

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

वजनी पैकिंग के खाद्य पदार्थ घी के 80 मूल सील्ड प्लेन पाउच पैक का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2020 में अवलानक स्तर (Substandard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल ने ब्रजरस माइल्ड फैट का काफी समय से निर्माण कर यज्ञ, हवन पूजा के लिये विकय करना बताया। गैरसायल के द्वारा ब्रजरस माइल्ड फैट का मानव सेवन के लिये निर्माण नहीं किया जाकर यज्ञ, हवन पूजा के लिये निर्माण किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल ने ब्रजरस माइल्ड फैट का डिब्बा का नमूना तथा जिला उद्योग केन्द्र भरतपुर से जारी रजिस्ट्रेशन की प्रति वक्त सुनवाई प्रस्तुत की है। गैरसायल के द्वारा निर्मित किया गया ब्रजरस माइल्ड फैट मानव सेवन के लिये नहीं होकर यज्ञ, हवन पूजा आदि के लिये निर्माण किया गया है। ब्रजरस खाद्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रकरण ड्रोप (Drop) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 31.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)